

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/18	53,188	छबड़ा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामसुरण	बनाम	भैरव लाल	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

25/18  
 वकील द्वारा एक व.स. अंतर्गत धारा 53, 188 की प्रा. के विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट संख्या 2/18 के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर नं. 2/18 के प्रतिवादी के तलय वर प्रमाण दिनांक 2/18 को पेश है।  
 3/18

13/18  
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वक रिश्ति में दिनांक 14-3-18 को पेश हो।  
 3/18  
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वक रिश्ति में दिनांक 16-4-18 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

16/18  
 वकील फरिदन उपास्थित/पत्रावली राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट मुकाम श्री 1/18 पर वास्ते दिनांक 22/5/18 को पेश हो।  
 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018

22/18  
 राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प कोर्ट-भीलवाड़ा नीचा मजमे आम न्याय आपके द्वार 2018 प्रतिवादी भवद लाल उपस्थित हो। वादी उपस्थित नहीं हो। वाद फा पडकर सुनाया, प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया जाद में वादी त आया है। समुक्त रपते भी है, वद्वारा कराने हेतु वाद पेश हुआ है। मजमे आम प्रस्ताव कर निम्न प्रकार प्रापतिक डिंडी जारी की गयी।  
क्रियात्मक आदेश  
 न्याय आपके द्वार-2018 केम्प कोर्ट भीलवाड़ा नीचा मजमे निष्पत्ति कि वादी प्रतिवादी के समुक्त रपते की कारण से भीलवाड़ा नीचा रपसरा नं. 137, 322, 367/6 फिता 3 रबका 11.08 वषा में से वादी का निहित हिस्सा 1/2 प्रपड होके शेष 1/2 हिस्सा अवकाश रहे। अन्ही प्रेस फरही व कुनी मेसे कुनी सिदान्त का मुदाद विमात्रक प्रताप तैपार करने हेतु तहसीलदार दृष्ट कर आदेशित किया जाता है। प्रापतिक डिंडी जारी की गयी, वाद विमात्रक प्रताप दि. 3/7/18 को पेश है।  
 उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

वकील वकील  
 वकील वकील  
 (श्री सुरज लाल राजावत एड.)

5.3.24 पत्रावली पेश हुई। वकील डिडी/डाए 34-1 तहसील है विभागत प्रचार कक्षा। उग: स्तरप पत्र लिखा जावे। पत्रावली काहे विभागत प्रचार दिनांक 27.3.24 को पेश हो।

27<sup>3</sup>/<sub>24</sub>

नियामित अधिकारी के अन्य कार्य में लोअपर  
 ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में सुनाव-24  
 दिनांक 20.5.24 को पेश हो।

रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

20.5.24 पत्रावली पेश हुई। वकील डिडी/डाए 34-1 तहसील है विभागत प्रचार कक्षा। उग: स्तरप पत्र लिखा जावे। पत्रावली काहे विभागत प्रचार दिनांक 11.6.24 को पेश हो।

11.6.24 पत्रावली पेश हुई। वकील डिडी/डाए 34-1 तहसील है विभागत प्रचार कक्षा। उग: स्तरप पत्र लिखा जावे। पत्रावली काहे विभागत प्रचार दिनांक 29.7.24 को पेश हो।

29.7.24 पत्रावली पेश हुई। वकील डिडी/डाए 34-1 तहसील प्रार्थी अरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उक्त उगवारी उक्त न्यायालय प्रमाण में लेका है उक्त वाद में प्रार्थी रामसुख अफग व कपडे के मध्य जाली का कोई बंधन नहीं चाहता है प्रार्थी उक्त घटने में अवस्थित यदि जैसी कवस्था व कवडे में है उसी तरह ही रहना चाहता है प्रार्थी उक्त प्रमाण का कोई बंधन नहीं चाहता है प्रार्थी व प्रार्थी के माथे अवलोकन के मध्य कोई बंधन नहीं करे का विवेक किया है।  
 प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय है कारी का वाद इसी स्तर पर जारी किया जाय है पत्रावली केवल सुनाए होकर वाद तहसील वकील के दायरे में रहता है।